न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, संख्या–04, हरदोई।

विशेष दाण्डिक परिवाद संख्या–253/2017

पट्टेलाल बनाम रावेन्द्र आदि

दिनांक 25–05–2018

परिवादी ने परिवाद–पत्र में कथन किया है कि– 'प्रार्थी अनुसूचित चमार जाति का सीधा–सादा मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा विपक्षीगण रावेन्द्र, अंकित व रघुवीर आपराधिक किस्म के दबंग पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य मनमुटाव चल रहा है, इसी मनमुटाव व रन्जिश पर दिनांक 13–03–2017 को समय करीब 11.00 बजे दिन में, विपक्षीगण के घर के पास होली लगी थी, प्रार्थी आखत डालने गया था। विपक्षी संख्या–01 रावेन्द्र, प्रार्थी को देखकर गाली–गलौज करने लगा तथा मना करने पर फौजदारी आमादा हो गया, तब गांव के लोगों ने बीच–बचाव करा दिया।

प्रार्थी आखत डालकर घर वापस आया कि विपक्षीगण नाजायज असलहा व डण्डा लेकर प्रार्थी के दरवाजे पर आ गए तथा प्रार्थी को यह कहते हुए गाली–गलौज करने लगे कि साले चमरवा तेरी इतनी औकात हो गई है कि तुम हमसे जुबान लड़ाता है। गाली देने से मना करने पर विपक्षीगण डण्डा व लात–घूसों से मारने–पीटने लगे।

प्रार्थी किसी तरह अपने को छुड़ाकर घर में घुस गया, तब उपरोक्त विपक्षीगण, प्रार्थी के घर में घुसकर मारे–पीटे तथा प्रार्थी की पत्नी व बच्चों के चिल्लाने पर गांव के मलिखे, लाखन आदि तमाम लोग आ गए, जिन्होंने घटना देखी व बचाया, तब विपक्षीगण आईन्दा जान से मार डालने की धमकी देते हुए चले गए'।

परिवादी पट्टेलाल ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा पी०डब्लू०–01 लाखन व पी०डब्लू०–02 मलिखे ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिवाद–पत्र में किए गए कथनों का समर्थन किया है।

परिवाद–पत्र एवं परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में मार–पीट मुख्य रूप से घर के दरवाजे पर होनी कही गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को गम्भीर बनाने के लिए घर में घुसकर मारने का कथन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन व मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण रावेन्द्र, अंकित व रघुवीर के विरूद्ध धारा–323, 504, 506 भा०द०सं० व धारा–3 (।) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने का प्रथम दृष्ट्या आधार मौजूद है।

आदेश

अभियुक्तगण रावेन्द्र, अंकित व रघुवीर को धारा–323, 504, 506 भा०द०सं० व धारा–3 (।)(x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत समन किया जाता है। परिवादी सूची गवाहान दाखिल कर आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 06–07–2018 को पेश हो।

(दिग्विजय नाथ)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम,

दिनांक 25–05–2018 न्यायालय संख्या–04, हरदोई।